

23/4  
25

४०१

आपका पत्र पढ़ा हुआ मूल दावा आदमपुर  
 आदम बाबरी में खारिज हो चुका है। प्रथम प्राण  
 दावा का मांग होना है। यदि मूल दावा खारिज  
 होने के कारण प्रथम प्राण 212 रकम इसी तरह  
 पर निरफ (समाप्त) कर लेना। किताब का  
 प्रमाण किताब सुमार होकर नाम (सं) कम था  
 प्रमाण मूल दावा के साथ मिलान रहे।

४०१

उपखण्डाधिकारी  
 बाबरी धौलपुर) राज